The Academic
International Journal of Multidisciplinary Research

An Online Peer Reviewed / Refereed Journal
Volume 4 | Issue 3 | March 2026
ISSN: 2583-973X (Online), SJIF IF: 5.6
Website: www.theacademic.in

समावेशी विकास: गांधी और आंबेडकर का दृष्टिकोण

Lakshita Choudhary

Department of Political Science, Ram Lal Anand College, University of Delhi, India

E-mail :- lakshita.ps2056@rla.du.ac.in

DOI : https://doi.org/10.5281/zenodo.19543401

ARTICLE DETAILS

Research Paper

Accepted: 29-03-2026

Published: 10-04-2026

Keywords:

ग्रामीण भारत, सामाजिक गरिमा, विकास, सामाजिक न्याय, विकेंद्रीकरण, श्रम।

ABSTRACT

गाँधीजी और अम्बेडकर को पिछले कुछ दशकों में विपरीत ध्रुवों पर एक दुसरे के विरोधी के रूप में दर्शाया गया, जिसके अंतर्गत शिक्षा, ग्रामीण क्षेत्र, जातिगत असमानता, राजनीतिक मतभेद लंबे समय से प्रमुख चर्चा के विषय रहे है (Roy, A. 2020; Jaffrelot, C. 2005)। गांधीजी और अम्बेडकर के दृष्टिकोणों में विभिन्नता होने के कारण समन्वय की परिकल्पना को अक्सर नजरअंदाज कर दिया जाता है। यह शोध मुख्यतः इन विचारकों के दृष्टिकोणों को विकास ओर ग्रामीण क्षेत्रों से जोड़ते हुए विकास के साथ गरिमा को दर्शाने हेतु गांधीजी और अम्बेडकर के विचारों में समन्वयता को सिद्ध करता है। विकास का आधुनिक नजरिया अंदरूनी रूप से खोखला प्रतीत होता है जिसे गांधीजी ओर अम्बेडकर के विचार व्यंग्यात्मक रूप से चुनौती देते है। भारत के अंतर्गत विकास के दृष्टिकोण को केवल आर्थिक पैमाने से व्यक्त किया जाता है, जैसे:- GDP, दैनिक आय, प्रति व्यक्ति आय इत्यादि ओर इन्हीं आंकड़ों की अवधारणा पर विकास को परिभाषित किया जाता है। जिसके चलते समाज मे मानवीय गरिमा, न्याय, समानता, प्रेम की अवधारणा जैसे सिद्धांत अदृश्य हो जाते है। आधुनिक ग्रामीण भारत में विकास की यह आधुनिक अवधारणा न के बराबर प्रदर्शित होती है, इसी सन्दर्भ में आधुनिक युग के अंतर्गत गांधीजी ओर अम्बेडकर के सिद्धांतों में समन्वयता मौजूदा समाज के लिए एक नई पहल है, विचारकों के अनुसार मुख्यतः मानवीय मूल्यों ओर सामाजिक शिष्टाचारों पर आधारित विकास का वास्तविक मूल्यांकन होना चाहिए न कि आर्थिक व भौतिक संसाधनो के जरिए (Gandhi, 1909; Ambedkar, 1936)। यह शोध पत्र मुख्यत: गाँधीजी और अम्बेडकर के विभिन्न लेखों व संबोधनों के जरिए ग्रामीण भारत की आधुनिक समस्याओ- गरीबी, बेरोजगारी, जातिगत छुआछूत, पलायन, सामाजिक भेदभाव इत्यादि का विश्लेषण करता है। यह तर्क प्रदान करता है कि ग्रामीण भारत के अन्तर्गत विकास के साथ गरिमा को दर्शाना आधुनिक समाज की आवश्यकता है जिसके

लिए गाँधीजी के स्वराज व अम्बेडकर के सामाजिक कानूनी न्याय जैसे सिद्धांतों को एक ही परिपाटी पर लाना एक व्यापक कदम है।

प्रस्तावना:

भारत को मूलतः सर्वाधिक गाँवों वाले देश के रूप में संबोधित किया जाता है, परंतु नीतिगत ढांचे के अंतर्गत गाँवों के विकास को नजरअंदाज कर दिया जाता है । भारत में विकास की अवधारणा समय के साथ बदलती रही है जैसे प्रथम पंचवर्षीय योजना का क्षेत्र मुख्यतः कृषि पर केंद्रित रहा ओर अन्य बढ़ती योजनाओं को शहरों पर आधारित बनाया गया जिसमें ग्रामीण क्षेत्रों की भूमिका केवल संसाधनों के उत्पादन कर्ता के रूप में सीमित रह गई थी। आधुनिक भारत में विकास की संकल्पना शहरी- केंद्रित है, जिसके कारण ग्रामीण आबादी का शहरों की तरफ अत्यधिक पलायन होने लगा, जिससे ग्रामीण व शहरी क्षेत्रों में सामाजिक व आर्थिक असंतुलन उत्पन्न हो रहा है (Guha, R. 2007)। इसके अतिरिक्त ग्रामीण क्षेत्रो को एक अन्य रूप में भी चर्चा का विषय माना जाता है जहाँ समाज मे व्याप्त जातिगत असमानता, छुआछूत, भेदभाव जैसे सवाल विकास की नीतियों के लिए एक बड़ी चुनौती हैं (Ambedkar, 1936; Jaffrelot, C., 2005)।, इन बाधाओं को समझे बिना ग्रामीण भारत के वास्तविक विकास की कल्पना करना असंभव है।

क्या वास्तविक विकास को आँकड़ो के माध्यम से ही मापा जा सकता है या इसके अन्तर्गत गरिमा के अस्तित्व को भी रखा जा सकता है?

गाँधीजी व अम्बेडकर दोनों ने ही ग्रामीण भारत व विकास से संबंधित प्रश्नों को अपने-अपने तर्क के आधार पर उठाया था। जहाँ दोनों के विचारों में मतभेद देखे गये थे जैसे:- विकेन्द्रित शासन व्यवस्था को गाँधीजी ग्रामीण भारत के लिए अति आवश्यक मानते थे जिसमें स्वशासन व स्वावलंबन का विचार गाँधीजी के सिद्धांतों पर केन्द्रित है (Gandhi, 1946)। जबकि अम्बेडकर विकेन्द्रित शासन को ग्रामीण भारत में सामाजिक न्याय के सूचक के रूप देखते थे उनके अनुसार गाँवों में जातिगत असमानता मौजूद है जिसके कारण निम्न जाति के लोगों को भेदभाव का सामना करना पड़ता है (Ambedkar, 1947)। पंचायती राज व्यवस्था के विचार पर संविधान सभा में एक लम्बी बहस के बाद मध्यम मार्ग निकाला गया। जिसके अन्तर्गत गाँधीजी और अम्बेडकर दोनों के विचारों को अपनाया गया। पंचायती राज को संवैधानिक अधिकार सहित सामाजिक न्याय की कानूनी सुरक्षा सम्मिलित है (DeSouza, P. R.2003 ; Kolge, N. 2017)।

इसी आधार पर गाँधीजी और अम्बेडकर के विचार हिंदू धार्मिक व्यवस्था व जातिगत संरचना पर भी भिन्न-भिन्न दृष्टिकोण प्रदान करते हैं। गाँधीजी परम्परावादी विचारक थे जो जाति को सुधारात्मक रूप से देखते थे, जबकि अम्बेडकर जो उदारवादी व आधुनिक विचारक थे वह इसे जड़ से खत्म करने के पक्षधर रहे थे।

गांधीजी ओर अम्बेडकर के इन्हीं विपरीत विचारों में मध्यम मार्ग कहीं न कहीं २१ वि सदी के ग्रामीण भारत को दर्शाने में उपयोगी है। आज के युग में दोनों विचारकों के विचार समाज में विकास को लाने हेतु आवश्यक सिद्ध होते है ऐसे में इन

विचारकों को विपरीत ध्रुवों पर न ला कर के एक दूसरे के पूरक के रूप में देखना महत्वपूर्ण है। इस प्रकार यह शोध गाँधी व अम्बेडकर के विपरीत विचारों में समंजस्य प्रदान करता है जहाँ विकास को गरिमा के बिना अधूरा माना गया है।

कार्यशैली :-

यह शोध पत्र मुख्य रूप से गुणात्मक और विश्लेषणात्मक प्रकृति का है, जिसमें विचारों को समझने और उनकी तुलना करने पर ध्यान दिया गया है। इसमें महात्मा गांधी और डॉ. भीमराव अम्बेडकर के दृष्टिकोणों का तुलनात्मक अध्ययन किया गया है। इसका उद्देश्य दोनों के विचारों के अंतर और समानताओं को सरल तरीके से समझना है। यह पत्र 21वीं सदी के ग्रामीण भारत की समस्याओं को समझने में यह काफी उपयोगी हो सकता है। तुलना और विश्लेषण के माध्यम से नीतियों को बेहतर तरीके से देखा जा सकता है। इससे यह समझने में मदद मिलती है कि वर्तमान समय में कौन-से उपाय ज्यादा हितकारी हो सकते हैं।

गांधीजी का दृष्टिकोण: ग्राम स्वराज और श्रम की गरिमा =

"मैंने बार-बार यह माना और कहा है कि भारत कुछ शहरों में नहीं, बल्कि उसके सात लाख गाँवों में बसता है।" – महात्मा गाँधी, (1946 India of My Dreams)

गांधीजी के विचारों में ग्रामीण भारत केवल एक भौगोलिक क्षेत्र नहीं, बल्कि राष्ट्र के विकास की असली सीढ़ी है। उनका मानना था कि भारत की आत्मा उसके गाँवों में निवास करती है, इसलिए जब तक गाँव आत्मनिर्भर नहीं होंगे, तब तक वास्तविक स्वतंत्रता का कोई अर्थ नहीं है। गांधीजी ने 'श्रम की गरिमा' पर विशेष बल दिया, उनके अनुसार कोई भी कार्य छोटा या बड़ा नहीं होता है जिससे प्रत्येक व्यक्ति को शारीरिक श्रम करना चाहिए ताकि समाज में ऊँच-नीच का भेद खत्म हो सके। इसी उद्देश्य के लिए उन्होंने चरखा और कुटिर उद्योगों को स्वदेशी आंदोलन का मुख्य आधार बनाया, ताकि गाँवों आपस में एक दूसरे जुड़े रहे ओर आपसी सहयोग की भूमिका निभाए साथ ही स्थानीय स्तर पर रोजगार को बढ़ावा मिले।

इसके साथ ही, गांधीजी का ग्राम स्वराज का स्वपन केवल आर्थिक नहीं, बल्कि नैतिक और आध्यात्मिक से भी जुड़ा हुआ था (Gandhi, 1909 ; Parel, A. J. 2010)। वे प्राकृतिक खेती और सादगीपूर्ण जीवन के पक्षधर थे, क्योंकि उनका मानना था कि आधुनिक मशीनीकरण मनुष्य को सादगी भरे जीवन से दूर कर रही है। शिक्षा के क्षेत्र में उनका 'नई तालीम' का विचार यह स्पष्ट करता है कि शिक्षा केवल किताबी ज्ञान तक नहीं होनी चाहिए, बल्कि इससे व्यक्ति के कौशल विकास से जुड़ा होना चाहिए। उनके लिए स्वराज का अर्थ है—स्वयं पर नियंत्रण और एक ऐसी व्यवस्था जहाँ समाज का अंतिम व्यक्ति भी गरिमापूर्ण जीवन जी सके।

शिक्षा का लक्ष्य चरित्र, श्रम और सेवा का विकास है।" – महात्मा गांधी,- 'Basic Education for All' — Young India

डॉ. अम्बेडकर का दृष्टिकोण: सामाजिक न्याय और संवैधानिक सुधार =

"जाति केवल श्रम का विभाजन नहीं है, यह श्रमिकों का भी विभाजन है।" – डॉ. भी. रा. अम्बेडकर ,(जाति का विनाश, भाषण)

अम्बेडकर का ग्रामीण भारत के प्रति नजरिया गांधीजी से बिल्कुल भिन्न और आलोचनात्मक था। उन्होंने गाँवों को "स्थानीय अज्ञानता और संकीर्णता का गर्त" माना (Ambedkar, 1936), क्योंकि उनके अनुसार ग्रामीण समाज की जड़ें जातिगत भेदभाव और अस्पृश्यता में बहुत गहरी थीं। अम्बेडकर का तर्क था कि गाँवों की पारंपरिक संरचना दलितों और पिछड़ों के शोषण पर आधारित है, इसलिए वे गाँवों पर आधारित विकास के खिलाफ थे। उनका मानना था कि बिना कानूनी शासन और संवैधानिक सुरक्षा के, पिछड़े वर्ग के लोगों को न्याय नहीं मिल सकता। उनके लिए न्याय व कानूनी समानता केवल एक शब्द की भूमिका नहीं निभाते बल्कि समाज की संरचना को बदलने के औजार के रूप में संबोधित करते थे।

अम्बेडकर ने आर्थिक समानता के लिए भूमि सुधार और संसाधनों के समान वितरण को महत्वपूर्ण माना (Singh, T. 2019; Roy, R., & Kumar, S. 2019)। वे चाहते थे कि पिछड़े वर्ग के लोग गाँवों की इस शोषक व्यवस्था को छोड़कर शहरों की ओर बढ़ें और आधुनिक शिक्षा प्राप्त करें। शिक्षा को लेकर उनका दृष्टिकोण बहुत स्पष्ट था वह इसे सामाजिक व्यवस्था को बदलने माध्यम मानते थे। उनका प्रसिद्ध नारा "शिक्षित बनो, संगठित रहो, संघर्ष करो" इसी बात का प्रतीक है कि शिक्षा ही वह एकमात्र मार्ग है जो एक व्यक्ति को उसकी मानसिक और सामाजिक दासता से मुक्त कर सकती है (Ambedkar, 1979)। उनके विचार आधुनिकता, वैज्ञानिक सोच और वैधानिक अधिकारों पर आधारित थे, जो समाज में एक व्यापक और बुनियादी बदलाव लाना चाहते थे।

शिक्षा शेरनी का दूध है, जो पिएगा वही दहाड़ेगा।" – डॉ. भीमराव अम्बेडकर (Writings and Speeches)

तुलनात्मक अवलोकन की महत्वकांक्षा

समानताएँ

गांधीजी और अंबेडकर दोनों ही ऐसे विचारक थे जिन्होंने भारतीय समाज में मानव गरिमा, समानता और सामाजिक सुधार को अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान दिया (Roy, A. 2020)। दोनों का यह मानना था कि किसी भी समाज का वास्तविक विकास तभी संभव है जब उसके सबसे कमजोर वर्ग को सम्मानजनक जीवन प्राप्त हो। शिक्षा को दोनों ने सामाजिक परिवर्तन का प्रमुख साधन माना। गांधीजी जहाँ बुनियादी शिक्षा के माध्यम से व्यक्ति के नैतिक और व्यावहारिक विकास पर जोर देते थे, वहीं अंबेडकर ने शिक्षा को सामाजिक दमन से मुक्ति और अधिकारों की प्राप्ति का सबसे प्रभावी माध्यम बताया (Gandhi , 1909; Ambedkar, 1936)।

दोनों ही विचारकों ने यह स्वीकार किया कि समाज में व्याप्त असमानताएँ और भेदभाव विकास के मार्ग में सबसे बड़ी बाधा हैं। उन्होंने अपने-अपने तरीकों से इन समस्याओं को दूर करने का प्रयास किया, लेकिन उनका अंतिम उद्देश्य एक ऐसा समाज बनाना था जहाँ समान अवसर, सम्मान और न्याय सुनिश्चित हो। इस प्रकार, उनके विचारों में एक साझा आधार दिखाई देता है, जो सामाजिक सुधार और मानव गरिमा के प्रति उनकी प्रतिबद्धता को दर्शाता है।

भिन्नताएँ =

गांधीजी और अम्बेडकर के विचारों में अनेक भिन्नताएं दिखाई देती है, विशेषकर इस बात में कि दोनों का मत व समाज को बदलने का तरीका अलग-अलग देखते थे।

गांधीजी का मानना था कि अगर इंसान खुद को सुधार ले जैसे सच्चाई, अहिंसा, श्रम ओर सादगी भरा जीवन अपना ले तो समाज अपने आप ही बेहतर हो जाएगा। वे बदलाव को व्यक्तिगत स्तर से शुरू करने की बात करते थे। उनके लिए नैतिकता बहुत जरूरी थी, यानी इंसान पहले खुद अच्छा बने, फिर समाज भी अच्छा बनेगा (Gandhi, 1946) । इस सन्दर्भ में अम्बेडकर का नजरिया थोड़ा भिन्न था उनका मानना था कि सिर्फ नैतिक बातें करने से समाज नहीं बदलता, क्योंकि भेदभाव और अन्याय समाज से अंदरूनी रूप से जुड़ा हुआ है। इसलिए उसे खत्म करने के लिए कानून और संवैधानिक नियम अति आवश्यक है (Ambedkar, 1947)। वे चाहते थे कि संविधान के जरिए लोगों को अधिकार मिलें, ताकि प्रत्येक व्यक्ति को समाज में बराबर अवसर मिल सके।

जाति व्यवस्था को लेकर भी दोनों विचारकों की सोच अलग थी। गांधीजी इसे पूरी तरह खत्म करने की बजाय इसको सुधारात्मक नजरिए से देखते थे, वहीं अम्बेडकर जाति व्यवस्था को पूरी तरह खत्म करना चाहते थे, उनके लिए यह सिर्फ सामाजिक समस्या नहीं, बल्कि इंसान की गरिमा से जुड़ा मुद्दा था (Jaffrelot, C. 2005; Roy, A., 2020)।

गाँव और शहर को लेकर भी दोनों की सोच में अंतर था। गांधीजी गाँवों को ही देश की असली ताकत मानते थे और चाहते थे कि गाँव आत्मनिर्भर बनें। लेकिन अम्बेडकर का मानना था कि गाँव राष्ट्र के विकास में बाधित है क्योंकि यहां सामाजिक असमानता ओर जातिगत भेदभाव का अधिक बोलबाला है। वे आधुनिक सोच, उद्योग और शहरों को ही विकास के लिए जरूरी मानते थे, क्योंकि इससे लोगों को नए अवसर मिलते हैं और पुरानी सामाजिक बंधनों से बाहर निकलने का मौका मिलता है।

कुल मिलाकर, गांधीजी जहाँ नैतिक बदलाव और परंपरा के अंदर सुधार पर भरोसा करते थे, वहीं अम्बेडकर जी पूरी व्यवस्था में बड़ा बदलाव लाने की बात करते थे जो कानून, शिक्षा और समान अधिकारों के जरिए हर व्यक्ति तक पहुँचे।

गांधीजी और अंबेडकर के दृष्टिकोणों में अंतर उनके विचारों की प्रकृति में स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है। गांधीजी का दृष्टिकोण नैतिकता, अहिंसा पर आधारित था। वे मानते थे कि यदि व्यक्ति अपने भीतर परिवर्तन लाए और समाज में नैतिक मूल्यों को अपनाया जाए, तो सामाजिक समस्याओं का समाधान संभव है। इसके विपरीत, अंबेडकर का दृष्टिकोण अधिक व्यावहारिक था। उन्होंने यह तर्क दिया कि केवल नैतिक अपील से सामाजिक परिवर्तन संभव नहीं है, बल्कि इसके लिए कानूनी और संवैधानिक उपाय आवश्यक हैं।

समकालीन संदर्भ और 21वीं सदी में समन्वय

आज 21वीं सदी में भारत तेज़ी से विकास कर रहा है, लेकिन अगर हम ग्रामीण भारत की स्थिति पर ध्यान केंद्रित करे तो एक अलग ही नज़रिया दिखाई देता है। आज भी गाँवों में बेरोज़गारी, शिक्षा की कमी, स्वास्थ्य सुविधाओं का अभाव और सामाजिक भेदभाव जैसी समस्याएँ बनी हुई हैं। इसका मतलब यह है कि विकास हर जगह एक समान नहीं रहा है (Srinivasulu, K.

2021)। ऐसे में यह जरूरी हो जाता है कि इन समस्याओं को समझने व इनके निवारण के लिए एक व्यापक दृष्टिकोण अपनाया जाए, यही वजह है कि गांधीजी और अम्बेडकर दोनों के विचारों को साथ में देखने की जरूरत महसूस होती है (DeSouza, P. R.2003; Kolge, N. 2017)।

गाँवों के स्तर पर अगर देखा जाए तो गांधीजी का मत हमेशा आपसी सहयोग, सादगी और आत्मनिर्भरता पर रहा। उनका मानना था कि अगर गाँव अपने स्तर पर मजबूत होंगे, तो देश भी मजबूत होगा। आज के समय में यदि ग्रामीण समाज में एकता और सहयोग बढ़े, तो कई समस्याएँ के निवारण संभव है सकता है। लेकिन सिर्फ नैतिक मूल्यों की बात करना काफी नहीं है, क्योंकि ज़मीनी स्तर पर असमानता और भेदभाव के बोलबाला अब भी मौजूद है। यहीं पर अम्बेडकर का दृष्टिकोण महत्वपूर्ण हो जाता है, जो यह बताता है कि जब तक हर व्यक्ति को बराबर अधिकार और अवसर नहीं मिलेंगे, तब तक असली बदलाव संभव नहीं है। (Guha, R.2007)

शिक्षा के क्षेत्र में भी दोनों की सोच का समन्वय बहुत जरूरी है। आज स्कूल और कॉलेज तो बढ़े हैं, लेकिन शिक्षा की गुणवत्ता अभी भी एक चुनौती है। गांधीजी चाहते थे कि शिक्षा जीवन से जुड़ी हो, जिससे व्यक्ति कुछ कौशल सीख सके और आत्मनिर्भर बने। वहीं अम्बेडकर शिक्षा को ऐसा माध्यम मानते थे, जो व्यक्ति को सामाजिक और मानसिक रूप से मजबूत बनाता है। अगर आज की शिक्षा में इन दोनों के विचारों को मिलाया जाए, तो यह सिर्फ पढ़ाई तक सीमित नहीं रहेगी, बल्कि लोगों को जागरूक और सक्षम भी बनाएगी।

ग्रामीण अर्थव्यवस्था की बात करें तो COVID-19 pandemic एक महत्वपूर्ण उदाहरण है। उस समय जब शहरों की आर्थिक गतिविधियाँ लगभग रुक गई थीं, तब खेती ही एक ऐसा क्षेत्र था जिसने देश को संभाले रखा और 2-3% भारतीय जीडीपी में सकारात्मक योगदान दिया (भारत सरकार, 2021)। इसके बावजूद आज भी GDP में गाँवों और कृषि की भूमिका को नहीं देखा जाता है, जितना देखा जाना चाहिए। यह साफ दिखाता है कि हमारी नीतियों में अभी भी ज़मीनी वास्तविकता को पूरी तरह महत्व नहीं दिया जा रहा है।

आज सरकार की कई योजनाएँ जैसे मनरेगा, ग्रामीण आवास और कृषि विकास कार्यक्रम इसी बात को समझाने की कोशिश करती हैं कि विकास केवल आर्थिक नहीं, बल्कि सामाजिक भी होना चाहिए (ग्रामीण विकास मंत्रालय, 2022)। यहाँ पर गांधीजी का आत्मनिर्भर गाँव का विचार और अम्बेडकर का समानता व अधिकारों का दृष्टिकोण मिलकर एक संतुलित रास्ता दिखाते हैं। परंतु इन सरकारी योजनाओं में यह सुनिश्चित होना जरूरी है कि ग्रामीण क्षेत्रों में विकास के साथ साथ गरिमा को भी समान महत्व मिल सके।

अंत में यही कहा जा सकता है कि 21वीं सदी में ग्रामीण भारत की समस्याओं को हल करने के लिए केवल एक सोच पर निर्भर रहना पर्याप्त नहीं है। गांधीजी हमें समाज को जोड़ने और नैतिक दिशा देने की सीख देते हैं, जबकि अम्बेडकर हमें अधिकार, समानता और न्याय का रास्ता दिखाते हैं। जब इन दोनों के विचारों को साथ में अपनाया जाएगा, तभी एक ऐसा ग्रामीण भारत बन सकेगा जो न सिर्फ आर्थिक रूप से मजबूत हो, बल्कि सामाजिक रूप से भी न्यायपूर्ण और समावेशी हो।

निष्कर्ष

इस अध्ययन से यह स्पष्ट होता है कि गांधीजी और अम्बेडकर के विचारों को केवल विरोधी ध्रुवों के रूप में देखना एक सीमित दृष्टिकोण है। वास्तव में, दोनों विचारकों के दृष्टिकोण अपने-अपने स्तर पर समाज की मूल समस्याओं को संबोधित करते हैं और एक-दूसरे के पूरक सिद्ध हो सकते हैं। जहाँ गांधीजी का जोर नैतिकता, आत्मनिर्भरता और ग्राम-स्वराज के माध्यम से समाज को भीतर से मजबूत करने पर है, वहीं अम्बेडकर सामाजिक न्याय, समानता और संवैधानिक अधिकारों के जरिए संरचनात्मक परिवर्तन की आवश्यकता पर बल देते हैं। 21वीं सदी के ग्रामीण भारत के संदर्भ में यह स्पष्ट है कि केवल आर्थिक विकास पर्याप्त नहीं है। यदि विकास की प्रक्रिया में सामाजिक न्याय, समान अवसर और मानवीय गरिमा को शामिल नहीं किया जाता, तो यह विकास अधूरा रह जाता है। इसी संदर्भ में गांधीजी और अम्बेडकर के विचारों का समन्वय एक संतुलित और व्यावहारिक मार्ग प्रस्तुत करता है, जो न केवल आर्थिक प्रगति बल्कि सामाजिक समावेशन को भी सुनिश्चित करता है।

अतः यह कहा जा सकता है कि समावेशी विकास की वास्तविक परिकल्पना तभी साकार हो सकती है, जब गांधीजी के नैतिक एवं विकेन्द्रीकृत दृष्टिकोण को अम्बेडकर के संवैधानिक और अधिकार-आधारित दृष्टिकोण के साथ जोड़ा जाए। यही समन्वित दृष्टि भविष्य के ग्रामीण भारत के लिए एक अधिक न्यायपूर्ण, समानतापूर्ण और गरिमापूर्ण समाज की आधारशिला रख सकती है।

सन्दर्भ सुचीः-

- Ambedkar, B. R. (1936). Annihilation of caste. Navayana Publications.
- Ambedkar, B. R. (1945). What Congress and Gandhi have done to the untouchables. Thakkar and Company.
- Ambedkar, B. R. (1947). States and Minorities. Government of India.
- Ambedkar, B. R. (1990–present). Dr. Babasaheb Ambedkar: Writings and speeches (Vols. 1–18). Government of Maharashtra.
- Bhaduri, A. (2005). Development with dignity. Oxford University Press.
- Chakrabarty, B. (2011). Mahatma Gandhi and contemporary discourse. Oxford University Press.
- DeSouza, P. R. (2003). In the mirror of inheritance: Politics and society in contemporary India. Sage Publications.
- Gandhi, M. K. (1909). Hind Swaraj, or Indian Home Rule. Navajivan Publishing House.
- Gandhi, M. K. (1946). India of my dreams. Navajivan Publishing House.
- Gandhi, M. K. (1958–1994). The collected works of Mahatma Gandhi (Vols. 10, 62, 79). Publications Division, Government of India.

- Guha, R. (2007). India After Gandhi. HarperCollins.
- Jaffrelot, C. (2005). Dr. Ambedkar and untouchability: Analysing and fighting caste. Orient Blackswan.
- Jodhka, S. S. (2012). Caste in contemporary India. Routledge.
- Jodhka, S. S. (2023). India's villages in the 21st century. Orient BlackSwan.
- Kolge, N. (2017). Gandhi against caste. Oxford University Press.
- Kumar, M. (2024). Dr. B. R. Ambedkar's economic philosophy. International Journal of Political Science and Governance, 6(1), 387–391.
- Ministry of Rural Development. (2022). Annual report 2021–22. Government of India.
- Omvedt, G. (2004). Ambedkar: Towards an enlightened India. Penguin.
- Parel, A. J. (Ed.). (2010). Gandhi: Hind Swaraj and other writings. Cambridge University Press.
- Roy, A. (2020). The doctor and the saint. Haymarket Books.
- Roy, R., & Kumar, S. (2019). Dr. B. R. Ambedkar's socio-economic thought. Review of Research, 8(5), 1–5.
- Saini, U. (2018). Consequences of green revolution. Krishi Arthashastra Review, 9(1), 77–94.
- Singh, T. (2019). Dr. Ambedkar's economic ideology. International Journal of Humanities and Social Science Invention, 8(4), 68–71.
- Srinivasulu, K. (2021). Dr. Ambedkar and caste annihilation. In Routledge handbook of the other backward classes in India. Routledge.